फैक्स/ई-मेल

संख्या-804/छः-पु0-2-2016-1100(18)/13

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 14 मार्च, 2016

विषयः- पुलिस विभाग में उपलब्ध अश्वों को प्रतिदिन देय राशन/सामग्री की मात्रा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र सं0-7-44(11)-2012, दिनांक 22.01.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 31.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग में उपलब्ध अश्वों को प्रतिदिन देय राशन/सामग्री की मात्रा को संतुलित किये जाने के संबंध में उक्त पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यूक विचारोपरान्त विषयगत मामले के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों/निर्देशों को निरस्त करते हुए पुलिस विभाग में उपलब्ध अश्वों को प्रतिदिन प्रति अश्व निम्नवत राशन/सामग्री दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0	सामग्री	प्रति अश्व प्रतिदिन निर्धारित राशन/सामग्री
1	2	3
1.	चना	1.00 किग्रा0
2.	जौ	2.00 किग्रा0
3.	चोकर	1.00 किग्रा0
4.	नमक	30.00 ग्राम
5.	हरी घास	25.00 किग्रा0 (1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक)
6.	सूखी घास	15.00 किग्रा0 (1 जनवरी से 30 जून तक)

भवदीय,

14.3.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. वित्त व्यय नियत्रंक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-12
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।